OUR PUBLICATIONS

Iobus Press

448, Pocket-V, Mayur Vihar, Phase-I, Delhi-110091 (INDIA)
Ph.: 011-22753916

ISSN 0975-119X

UGC-CARE GROUP I LISTED

वर्ष 12 अंक 6 नवंबर-दिसंबर 2020

दृष्टिकोण

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका

India's Leading Referred Hindi Language Journal

IMPACT FACTOR : 5.051

दृष्टिकोण

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका

प्रधान संपादक

डॉ. अश्विनी महाजन

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

संपादक

डॉ. प्रसून दत्त सिंह

महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी

डॉ. फूल चन्द

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

दृष्टिकोण प्रकाशन

वर्ष : 12 अंक : 6 ❑ नवम्बर-दिसम्बर, 2020

दृष्टिकोण

संपादक मंडल

डॉ. अरुण अग्रवाल
ट्रेन्ट विश्वविद्यालय, पीटरबरो, ओंटारियो
डॉ. दया शंकर तिवारी
दिल्ली विश्वविद्यालय
डॉ. आनंद प्रकाश तिवारी
काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी
डॉ. प्रकाश सिन्हा
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
डॉ. दीपक त्यागी
दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर
डॉ. अरुण कुमार
रांची विश्वविद्यालय, रांची
डॉ. महेश कुमार सिंह
सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका
डॉ. हरिश्चन्द्र अग्रहरि
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
डॉ. पूनम सिंह
बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर
डॉ. एस. के. सिंह
पटना विश्वविद्यालय, पटना
डॉ. अनिल कुमार सिंह
जे.पी. विश्वविद्यालय, छपरा
डॉ. मिथिलेश्वर
वीर कुंअर सिंह विश्वविद्यालय, आरा
डॉ. अमर कान्त सिंह
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर
डॉ. ऋतेश भारद्वाज
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
डॉ. स्वदेश सिंह
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
डॉ. विजय प्रताप सिंह
छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

संपादकीय सम्पर्क:

448, पॉकेट-5, मयूर विहार, फेज-I, दिल्ली-110091
फोन : 011-22753916, 35522994 Mobile: 9710050610, 9810050610
e-mail : editorialindia@yahoo.com; editorialindia@gmail.com; delhijournals@gmail.com
Website : www.ugc-care-drishtikon.com
©Editorial India
Editorial India is a content development unit of Permanence Education Services (P) Ltd.

ISSN 0975-119X

नोट: पत्रिका में प्रकाशित लेखकों के विचार अपने हैं। उसके लिए पत्रिका/संपादक/संपादक मंडल को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। पत्रिका से सम्बंधित किसी भी विवाद के निपटारे के लिए न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

सम्पादकीय

सोशल मीडिया कंपनियों का राजनीति में बढ़ता दखल

कुछ समय पूर्व यह विषय प्रकाश में आया कि कैम्ब्रिज एनालेटिका नाम की एक डाटा कंपनी ने 8.7 करोड़ लोगों के फेसबुक डाटा के आधार पर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव अभियान में काम किया और ट्रंप की विजय में इस कंपनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रश्न यह है कि कैम्ब्रिज एनालेटिका को फेसबुक का डाटा कहां से मिला, तो यह बात स्पष्ट है कि वो फेसबुक कंपनी से ही प्राप्त किया गया। यूं तो फेसबुक कंपनी द्वारा अपने डाटा बेचने के कई साक्ष्य मिलते हैं, और फेसबुक के मालिक मार्क जुकेरबर्ग ने इस संबंध में माफी भी मांगी थी, लेकिन भविष्य में इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृति नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है।

वर्ष 2018 में यह बात सामने आई कि इसी कैम्ब्रिज एनालेटिका कंपनी ने भारत की कांग्रेस पार्टी के लिए फेसबुक और ट्विटर के डाटा का उपयोग कर 2019 के चुनावों के लिए मतदाताओं के रूझान को बदलने के लिए कार्य करने का प्रस्ताव रखा। इस कंपनी की बेवसाईट पर यह दावा भी किया गया था कि वर्ष 2010 के चुनावों में उसने बिहार चुनावों में विजयी दल के लिए काम किया था। राजनीतिक दलों के लिए चुनावों की दृष्टि से सोशल मीडिया कंपनियों के डाटा का दुरूपयोग एक सामान्य बात मानी जाने लगी है।

लेकिन हालिया अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में इन सोशल मीडिया कंपनियों का दखल और अधिक सामने दिखाई देने लगा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लगभग सभी ट्वीटों पर ट्विटर कंपनी की टिप्पणी आ रही थी। इससे स्वभाविक तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप के सभी बयानों को संदेहास्पद बनाने में इस कंपनी की खासी भूमिका रही। हाल ही में अमरीका में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर एकाउंट सस्पेंड कर दिए जाने के कारण ट्विटर कंपनी बड़े विवाद का केन्द्र बन गई है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि इन सोशल मीडिया कंपनियों के पास इन प्लेटफार्मों को इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों की निजी जानकारियां काफी बड़ी मात्रा में होती हैं। ये कंपनियां उनके सामाजिक रिश्तों, जात-बिरादरी, आर्थिक स्थिति, उनकी आवाजाही, उनकी खरीदारियों समेत तमाम प्रकार के डाटा पर अधि कार रखती हैं और इस डाटा का उपयोग वे राजनीतिक दलों के हितसाधन में भी कर सकती हैं। ऐसे में वे प्रजातंत्र को गलत तरीके से प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि यदि सोशल मीडिया का उपयोग ईमानदारी से किया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि ये सोशल मीडिया कंपनियां राजनीति को प्रभावित करने का व्यवसाय करने लगे, तो दुनिया में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ही नहीं बल्कि सामाजिक तानाबाना भी खतरे में पड़ जाएगा।

हालांकि ट्विटर कंपनी द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एकांउट को सस्पेंड करने के पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान अमरीका में शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण के लिए खतरा हैं, लेकिन कुछ समय पूर्व फ्रांस में एक समूह द्वारा हिंसक गतिविधियों को औचित्यपूर्ण ठहराने वाली मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहातिर मोहम्मद की ट्वीट के बावजूद उनके ट्विटर एकाउंट को सस्पेंड न किया जाना दुनिया में लोगों को काफी अखर रहा है।

अत्यंत ताकतवर हैं ये टेक कंपनियां

गौरतलब है कि अकेले भारत में ही फेसबुक के 33.6 करोड़ से ज्यादा एकाउंट हैं, जबकि इस कंपनी द्वारा चलाई जा रही मैसेजिंग, वायस एवं वीडियो कॉल एप्लीकेशन के 40 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं। इसी प्रकार फेसबुक इंस्टाग्राम एप की भी मालिक है, जो फोटो और विडियो साझा करने की एक लोकप्रिय एप्लीकेशन है। इससे सीधा-सीधा अंदाज लगाया जा सकता है कि भारत की एक बड़ी जनसंख्या का निजी, आर्थिक एवं सामाजिक डाटा इस कंपनी के पास है। इसी प्रकार भारत में ट्विटर के लगभग 7 करोड़ और दुनिया में 33 करोड़ एकाउंट हैं। फेसबुक, व्हाट्एप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंकेडिन आदि सोशल मीडिया ऐप्स हालांकि मुफ्त में अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं, लेकिन अपने बड़े डाटाबेस का उपयोग वे अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए करती हैं। इसी प्रकार सर्च इंजन चलाने वाली गूगल कंपनी भी अनेकों बार अपने लॉगरिथम का गलत इस्तेमाल करने की दोषी पाई गई है। आज भारत में विज्ञापन की दृष्टि से गूगल और फेसबुक सर्वाधिक आमदनी कमाने वाली कंपनियां बन चुकी है। इसी प्रकार अन्य कंपनियों के भी अपने-अपने बिजनेस मॉडल हैं। ये कंपनियां उपभोक्ताओं को काफी संतुष्टि भी प्रदान कर रही हैं, जिसके कारण उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है।

लेकिन इनकी बढ़ती लोकप्रियता और इन कंपनियों पर किसी भी प्रकार के अंकुश के अभाव में इन कंपनियों से समाज के तानेबाने को बिगाड़ने और लाभ के लिए कार्य करते हुए प्रजातंत्र को प्रभावित करने की केवल आशंकाएं ही नहीं बल्कि वास्तविक खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। गौरतलब है कि इन कंपनियों के कार्यकलापों और लॉगरिथम में पारदर्शिता का पूर्णतया अभाव है। और यह बात भी स्पष्ट है कि ये कंपनियां लाभ के उद्देश्य से काम करती हैं और अपने शेयर होल्डरों के लिए अधिकतम लाभ कमाने के लिए अग्रसर रहती हैं। इसलिए स्वभाविकतौर पर, चाहे कानून के दायरे में ही रहकर, ये कंपनियां लाभ

कमाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। चूंकि इलैक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया हाल ही में आस्तित्व में आया है, इसलिए विभिन्न देशों के कानून उनको नियंत्रित करने में स्वयं को अक्षम महसूस कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी कानूनी बाध्यता के अभाव में ये कंपनियां सामाजिक और राजनीतिक तानेबाने और लोकतंत्र की भावनाओं पर चोट कर सकती हैं।

हाल ही में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा ध्यान में आया जब चीन की कुछ मोबाईल एप्स अमानवीय एवं असमाजिक कृत्यों में संलग्न थी, तो भी उन्हें प्रतिबंधित करने में सरकार को कानून के अनुसार निर्णय लेने में लंबा समय लगा। हालांकि जनता में चीन के प्रति बढ़ते आक्रोश के चलते बड़ी मात्रा में ऐसी एप्स प्रतिबंधित कर दी गई हैं, लेकिन फेसबुक, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि एप्स पर अंकुश लगाना आसान कार्य नहीं होगा। ऐसे में इन कंपनियों द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करने का खतरा हमेशा रहेगा।

क्या हो सकता है समाधान?

इन कंपनियों के संभावित खतरों के मद्देनजर चीन ने प्रारंभ से ही इन एप्स को अपने देश में प्रतिबंधित किया हुआ है और इन एप्स के मुकाबले में चीनी एप्स को विकसित किया गया है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इत्यादि के उनके अपने ही विकल्प हैं। भारत भी ऐसा प्रयास कर सकता है कि चाहे इन सोशल मीडिया एप्स को जारी भी रखा जाए, लेकिन साथ ही साथ उनके विकल्प भी उपलब्ध हों। बड़ी संख्या में चीनी एप्स को प्रतिबंधित करने के बाद देश में भारत के ही स्टार्टअप्स के द्वारा अनेकों प्रकार के एप्स विकसित किए भी गए हैं।

इसी प्रकार सरकार सोशल मीडिया एप्स के द्वारा उनके डाटा के दुरूपयोग को रोकने के लिए डाटा संप्रभुता हेतु कानून बनाकर इन कंपनियों को पारदर्शी तरीके से अपने डाटा को भारत में ही रखने के लिए बाध्य कर सकती है। इन कंपनियों द्वारा डाटा माइनिंग को हतोत्साहित करते हुए भी लोगों के निजी डाटा के दुरूपयोग को कम किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी विकास के इस युग में उपभोक्ता संतुष्टि के साथ-साथ देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सुरक्षित रखना और सामाजिक तानेबाने को नष्ट करने के प्रयासों को रोकना यह सरकार की जिम्मेवारी है। इसके लिए इन सोशल मीडिया कंपनियों के प्रभावी नियंत्रण हेतु कानून बनाने के दायित्व से सरकारें विमुख नहीं रह सकती।

संपादक

इस अंक में

महिलाओं के मानवाधिकारों का सशक्तिकरण : संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमयों का विवेचन–कुमारी वन्दना 1
स्वातंत्र्योत्तर नेहरूवादी राजनीति में पत्रकारिता का स्वरूप–निधि सिंह 4
जिला सरकार की परिकल्पना व अनुप्रयोग : एक विमर्श–राजू कुमार पाण्डेय 6
भारत में कोरोना संक्रमण काल के पर्यावरण पर प्रभाव एक भौगोलिक अध्ययन–डॉ० विजय कुमार वर्मा 9
पर्यावरण पर आधुनिक कृषि के प्रभावों का भौगोलिक विश्लेषण–हरि शंकर गुप्ता 16
धौलपुर में डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन–संजय सिंह राघव 20
'वायु प्रदूषण का प्रभाव एवं संरक्षण एक भौगोलिक अध्ययन'–महेश चन्द मीना 26
भारत में खाद्यान्न स्थिति एवं खाद्य सुरक्षा का भौगोलिक अध्ययन–डॉ० रितेश कुमार अग्रवाल 31
'आओ पेपे घर चले: वैश्विक परिवेश में नारी'–डॉ० अर्चना मिश्रा 36
गुरु नानक वाणी में प्रस्तुत पंजाबी संस्कृति : एक अध्ययन–अमृतपाल कौर 38
हिन्दी साहित्य एवं अनुवाद : अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ में–डॉ. (श्रीमती) कंचना सक्सेना; ऋतु वर्मा 41
कक्षा-कक्ष में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) (सम्भावनाऐं एवं चुनौतियां)–डॉ० कैलाश पारीक 44
मध्यकालीन भारत की शिक्षा व्यवस्था (1206-1707) एक ऐतिहासिक अध्ययन–प्रो० कार्तिक प्रसाद यादव 48
हरदोई जनपद के बिलग्राम तहसील का पुरातात्त्विक सर्वेक्षण–डॉ० श्याम प्रकाश 53
जनप्रतिनिधियों का राजनीति संस्कृति स्वरूप संबंधी विचार विमर्ष–डॉ० जितेन्द्र पाटीदार 61
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और हिन्दी साहित्य–डॉ० दिनेश्वर कुमार महतो 64
वर्तमान समय में ई-गवर्नेंस के माध्यम से ग्रामीण परिवेश का चहुमुखी विकास 'एक अध्ययन'–डॉ. कविता अग्रवाल; चन्दना शर्मा 66
सरोज स्मृति पर सम्यक् दृष्टि–डॉ० हरिश्चन्द्र अग्रहरि 69
हवेली संगीत एवं पंडित जसराज का अंत: संबंध–स्नेहा कुमारी 72
उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति अभिवृत्ति के संदर्भ में वी-चित्रण (टमम क्पंहतंउ) विधि की प्रभावशीलता का अध्ययन–लालजी यादव; डॉ० सुधांशु सिन्हा 75
भारत में कुपोषण एवं स्वास्थ्य - एक अध्ययन–डॉ. मनोज कुमार 81
ग्राम एवं किसान जीवन का यथार्थ : 'अकाल में उत्सव' उपन्यास के सन्दर्भ में–मन्नू देवी 85
मोहन सपरा की कहन-भंगिमा–प्रो० सुधा जितेन्द्र; आत्मा राम 88
महिलाओं के कौशल विकास में एन.जी.ओ. की भूमिका (झारखंड के बगोदर-सरिया अनुमंडल के संदर्भ में)–अरुण कुमार 93
स्वतंत्रता से पूर्व बद्री-केदार यात्रा मार्ग पर स्थित चट्टियाँ एवं उनका सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से ऐतिहासिक अध्ययन–ओम प्रकाश मनोड़ी 96
रमेश उपाध्याय की कहानियों में स्वातंत्रयोत्तर भारतीय समाज में नारी की स्थिति–मीनाक्षी; डॉ० सुमन राठी 101
गलवान के संदर्भ में भारत चीन सीमा पर गतिरोध एवं भारतीय सुरक्षा–डॉ० मनीष लाल श्रीवास्तव 104
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (1857 ईस्वी) एवं अवध की रियासतें–डॉ० राजकुमार वर्मा 109
भाषा विकास–रवीन्द्र कुमार मिश्र 112
मध्य हिमालय के पशुचारण विवादों में लोकदेवताओं एवं खून्दों की भूमिका: एक ऐतिहासिक अध्ययन –डॉ० सुभाष चन्द्र; डॉ० राजपाल सिंह नेगी 115
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक व रोजगार के अधिकार का विश्लेशण–डॉ० ममता यादव; शिव प्रताप यादव 129
स्त्री विमर्श के विशेष सन्दर्भ में उपन्यास 'दुक्खम-सुक्खम'–सुरजीत कौर 133
रीवा संभाग मे कृषि भूमि उपयोग प्रतिरूप का भौगोलिक विश्लेषण–प्रो0 शिव कुमार दुबे; सितेश भारती 136
शिक्षण के निमित्त अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान पर आधारित अनुदेशन सामग्री का महत्व–अनुपम अग्रवाल; डॉ० बाबूलाल तिवारी 143
शुक्रनीति में सप्ताङग् सिद्धान्त–डॉ० अनुजा सिंह 147
हिंदी साहित्य में मुशर्रफ आलम जौकी का योगदान–गुलशन समीना रियाज 151

गढ़वाल लोक देवताओ के प्रतीक चिन्हो का अध्यन एक प्रारंभिक विवेचन–डॉ. सपना 154
व्यक्तित्व विकास और बालमनोविज्ञान हिंदी उपन्यासों के संदर्भ में–डॉ० अमिता तिवारी 157
असमिया साहित्य की एक कालजयी रचना 'संस्कार': एक विवेचन–कुल प्रसाद उपाध्याय 161
जे. कृष्णमूर्ति के शैक्षिक चिंतन का विश्लेषण व वर्तमान प्रासंगिकता–डॉ० अनिता जोशी; डॉ० चन्द्रावती जोशी 164
मीराबाई की रचनाओं में प्रेम भावना–डॉ० जी० पद्मावती 169
आदिवासी बहुल क्षेत्र में उच्च शिक्षा की स्थिति (राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों का अध्ययन)–डॉ० मुख्त्यार अली 173
न्यायपालिका का एक नवीन दृष्टिकोण : न्यायिक-सक्रियताएवं जनहित-वाद–चन्द्रभान सिंह 184
कोरोना से क्वॉरन्टीन् होती 'शिक्षा-व्यवस्था'–खुशबू साव 190
भारत में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन: एक भौगोलिक विवेचन–अशोक कुमार; डॉ. सुधीर मलिक 193
भारत से पलायन: एक संक्षिप्त परिचय–किशलय कीर्ति; चन्दन कुमार 198
मध्यवर्ग का आत्मसंघर्ष और मोहन राकेश का साहित्य–डॉ. रतन कुमार 201
उपेक्षित जीवन की त्रासद गाथा :'मुरदा-घर'–गंगा कोइरी 206
मूल्य और शिक्षा–रवि कान्त 209
राष्ट्रीय काव्यधारा में मैथिली शरण गुप्त का स्थान–डॉ० भगत गोकुल महादेव 213
वैदिक वाङमय में वर्णित विभिन्न चिकित्सा पद्धतियाँ–डॉ. दीप्ति वाजपेयी; कु. सन्जू नागर 216
हिन्दी और लोकभाषाओं में लोकजीवन–डॉ. आस्था तिवारी 220
समकालीन उपन्यासों में व्यक्त थर्ड जेंडर का त्रासद जीवन–राज कुमार शर्मा 224
विजय जोशी के कथा साहित्य में बाल मनोवैज्ञानिक विश्लेषण–डॉ० गीता सक्सेना; श्रीमती सुमन डागर 228
रामचरितमानस का लोकपक्ष–डॉ० राजेश कुमार शर्मा 231
कालिदासस्य मालविकाग्निमित्रम्–डॉ० सुमन कुमारी 237
गिरीश पंकज का रचना संसार–अमनदीप कौर; डॉ. सुनील कुमार 241
गीतांजलि श्री के कहानी-संग्रह 'अनुगूँज' का अनुशीलन–बंधना सलारिया; डॉ. सुनील कुमार 248
लीलाधर मंडलोई का रचना-संसार–तजिंदर कौर; डॉ. सुनील कुमार 254
अध्यापक शिक्षा में रचनावादी सिद्धांत और व्यवहार का अध्ययन–नगनारायण उपाध्याय 262
प्राचीन भारतीय कला एवं साहित्य में योग : एक विश्लेषण–डॉ० मोहन लाल चढ़ार 266
हरिशंकर परसाई के व्यंग्यों में विसंगति निरूपण–चुन्नीलाल 273
21वीं सदी के हिंदी उपन्यासों में आर्थिक पक्ष : 'आदिवासी समाज' के विशेष संदर्भ में–अनिल कुमार; डॉ. रीता सिंह 276
गुरु नानक बाणी जपु तथा योग दर्शन : जीवन दर्शन के संदर्भ में–दविन्द्र सिंह 279
महिला खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धी व्यवहार और नेतृत्व व्यवहार की तुलना–डॉ. विकास प्रजापति; डॉ. अकांक्षा प्रजापति; डॉ. कपिल दवे 284
प्रातिशाख्य परम्परा में वाजसनेयी-प्रातिशाख्य का महत्त्व एवं वैशिष्ट्य–डॉ. बाबूलाल मीना 287
संस्कृत के प्रमुख पुराणों में पर्यावरण चेतना–डॉ. आशा सिंह रावत 290
स्वातंत्रोत्तर भारत की सामाजिक समरसता की चुनौतियाँ एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन–डॉ० हरबंस सिंह 296
ऑन लाईन शिक्षण एवं प्रभाव–डॉ. महेश कुमार शर्मा; डॉ. श्याम सुन्दर कौशिक 300
तुलसीदास के जीवन संबंधी विवादित विविध दृष्टिकोण (जन्म संबंधित विवादित मुद्दे)–डॉ. मंजुला 304
सन साठ के बाद की हिन्दी कविता में भाषा और संवेदना की अन्त: संगति–डॉ० रंजीत सिंह 308
लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटकों में सामाजिक आदर्श–डॉ० उमेश कुमार शर्मा 312
मोक्ष : मानव जीवन का परम लक्ष्य–डॉ. प्रिय रंजन 318
प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता का अभिभावकों के दृष्टिकोण से सर्वेक्षणात्मक अध्ययन (प्रयागराज जनपद के विशेष संदर्भ में)
–डॉ० श्रवण कुमार; डॉ० गिरीश कुमार द्विवेदी 321
अलवर जिले में भूमि उपयोग एवं फ़सल प्रतिरूप का भौगोलिक अध्ययन–राजेन्द्र परेवा; डॉ० विजय कुमार वर्मा 326
भारत में उच्च शिक्षा का निजीकरण : एक अध्ययन–नागेश्वर कुमार 331
सवाईमाधोपुर ज़िले में जल संसाधनों का भौगोलिक अध्ययन–अंकुश मीना; डॉ. जगफूल मीना 337

प्राचीन नगरी मल्हार के स्थापत्य कला, मूर्तिकला एवं मृणमूर्तियों का ऐतिहासिक विष्लेषण; मंजू साहू; डॉ. रामरतन साहू 346
संत साहित्य पर आचार्य रजनीश (ओशो) की अभिनव दृष्टि–शाहिद हुसैन; डॉ. स्नेहलता निर्मलकर 350
भारतीय समाज में बढ़ती आर्थिक व सामाजिक विषामताओं के परिणामों एवम चुनौतियों के परिपेक्ष्य में एक अध्ययन–शुभ सेजवार 354
लॉक डाउन में भिवाड़ी के वायु प्रदूषण स्तर का भौगोलिक विश्लेषण–सत्यदेव 360
कोरोना महामारी से उपजी इंपफोडेमिक में आरोग्य सेतु की भूमिका एवं स्थिति का अध्ययन–डॉ. अमरेन्द्र कुमार 364
"अंधा युग" में प्रतीकात्मकता–डॉ. राजेश्वरी सिहं तोमर 368
मानव तस्करी (बाल श्रम) से सम्बन्धित केसों का अध्ययन–सतीश कुमार 371
नवीन शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में पुस्तकालयों की भूमिका–डॉ. अर्चना शुक्ला 375
अमेरिका में नस्लीय भेदभाव का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य–योगेन्द्र प्रसाद शर्मा 379
बच्चों एवं महिलाओं के विकास में आंगनबाड़ी केंद्र की भूमिका–स्मिता कुमारी 382
बदलते नामो का स्वरूप (इतिहास एवं वर्तमान संदर्भ में)–किसलय कुमार शुक्ल 384
प्राचीन बिहार के बौद्ध महाविहार विक्रमशिला : एक संक्षिप्त अवलोकन–राहुल कुमार झा 386
रमेशचन्द्र शाह की कहानियों में समाज के पारम्परिक मूल्यों की प्रासंगिकता–कृपा शंकर 389
कमजोर होती कांग्रेस–अजय कुमार; अरबिंद कुमार 394
जयशंकर प्रसाद के आधुनिकता और दृष्टि निर्माण में नवजागरण की प्रासंगिकता–अखिलेश यादव 397
मौर्य काल में विभिन्न आक्रमणों के ऐतिहासिक प्रभाव का अनुशीलन–शारदा प्रसाद सिंह 400
चम्पूकाव्यस्य परिभाषा रम्यत्वं महत्वम्–दीपक कुमार महतो 402
विभिन्न स्कूल वातावरण में बच्चों में भाषायी अधिग्रहण का मनोवैज्ञानिक अध्ययन–ज्योतिमा पाण्डेय 407
नामघर: असमिया जाति की एकता व समता का प्रतीक–बिद्या दास 411
राष्ट्रीय एकता के लिए अनुवाद साहित्य का महत्व–डॉ. (श्रीमती) रेखा दुबे; श्रीमती अलका यादव 414
उत्तरी बिहार के असंगठित क्षेत्रों में कौशल समायोजन और जनसांख्यिकीय स्थिति का अध्ययन–आलोक कुमार 417
विद्यालय शिक्षा में विद्यार्थियों की विज्ञान अभिरुचि विकसित करने की नव-प्रवृत्तियां–डॉ. महेश्वर गंगाधर कत्तावे 419
गांधी जी : एक दर्शन (वर्तमान परिप्रेक्ष्य में)–डॉ. सोनी यादव 423
'जूठन' - दलित जीवन का महाकाव्य–दिलना के 427
राजस्थानी समकालीन चित्रकार रामेश्वर सिंह का कला संसार–डॉ. इन्दु जोशी; कमल किशोर कश्यप 429
समकालीन ख़ौफ़ की सजीव अभिव्यक्ति : 'खुद पर निगरानी का वक़्त'–डॉ. नवनाथ शिंदे 433
मुगल शासकों के अधीन चीन, नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका तथा अफगानिस्तान के साथ भारत के व्यापारिक सम्बन्ध–प्रो0 (डॉ.) रामानन्द राम 438
सूचना क्रांति और बाजारवाद से बदल गई संसदीय पत्रकारिता–डॉ. हरीश चंद्र लखेड़ा 442
शासन का नवीन स्वरूप : ई-शासन और सुशासन–डॉ. अशोक कुमार 446
आचार्य गौडपाद की द्वन्द्व-न्यायात्मक तर्कणा-पद्धति–डॉ. सुमित कुमार 450
याज्ञवल्क्य-गार्गी-संवाद का दार्शनिक पक्ष–अभिलाशा कुमारी 453
लेखांकन अनुपात की परिकल्पना तथा वाणिज्य–रजीत कुमार तिवारी 456
जयपुर के पर्यटन विकास एवं संरक्षण का भौगोलिक अध्ययन–शोभा शर्मा 458
हरियाणा के गुरुग्राम ज़िले में लैंगिक असमानता एवं खांप पंचायतों की भूमिका–इन्दु 464
सत्याग्रह का गांधीवादी परिप्रेक्ष्य और वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता–डॉ. आशुतोष पांडेय 469
कश्मीर विलय के प्रश्न का कश्मीर समस्या में रुपान्तरण : एक पुनर्दृष्टि–अनुतोष कुमार 472
रामधारी सिंह दिनकर के कथा साहित्य में जीवन मूल्यों का महत्व–प्रदीप कुमार गुप्ता 476
समकालीन समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका–डॉ. अश्वनी चौधरी 479
समकालीन स्त्री आत्मकथाओं में स्त्री विमर्ष: मन्नू भण्डारी और प्रभा खेतान के विशेष संदर्भ में–रजनी जोशी 482
आदिवासियों के आर्थिक शोषण की समस्या और हिन्दी उपन्यास–डॉ. उमेश कुमार पाण्डेय 484
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक व राजभाषा हिंदी : नीति एवं प्रयोग–आरती शर्मा 487
तत्वों के आधार पर उपन्यास 'पुनर्नवा' का तात्विक विश्लेषण–डॉ. एस. प्रीति 495

अनुभव से अर्जित भावभूमि के कवि : संतोस श्रेयांस–डॉ. एस. रजिया बेगम 503
बिलासपुर जिले का ऐतिहासिक अध्ययन (बिलासपुर रेल्वे जोन आंदोलन के विशेष संदर्भ में)–श्रीमती हंसा तिवारी; डॉ. अंजू तिवारी 505
नव सहस्राब्दि में हिंदी तथा राजभाषा के रूप में उसकी स्वीकृति–हेमंत कुमार यादव 508
गुरु नानक साहिब जी का जीवन-वित्तांत: कवि वीर सिंह बल रचित ग्रंथ 'गुरकीरत प्रकाश' के विशेष संदर्भ में–गुरमिंदर सिंह 511
दलित आंदोलन: राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ में गांधी और अम्बेडकर का दृष्टिकोण–काजल 516
अलवर ज़िले में ग्रामीण विकास योजनाओं का अध्ययन–प्रदीप कुमार; डॉ. अनीता माथुर 518
राजस्थान के बाड़मेर जिले में ग्रामीण मानव अधिवासों का वितरण–जसराज 522
शानी के उपन्यासों में नारी चेतना–सोनिका कौशल 527
लोहिया और आर्थिक दर्शन–डॉ० मोहित कुमार लाल 529
कर्ण सिंह 'कर्ण' की काव्य शैली और काव्य सौन्दर्य–डॉ. जे. आत्माराम 532
दलित उत्पीडन का दस्तावेज–डॉ. रतिका पंचारपोयिल कोट्टायी 536
वर्तमान समय में आपदा चुनौतियों के प्रबंधन में समाजकार्य क्षेत्र की प्रासंगिकता–डॉ. शिवसिंह बघेल; डॉ. सुशील कुमार पाण्डेय 538
सामाजिक न्याय एवं वाल्मीकि जाति : हरियाणा के नूंह जिले के विशेष सन्दर्भ में–दीपक 541
स्वामी महावीर के शिक्षाओं की वर्तमान में प्रासंगिता–प्रो. रश्मि मेहरोत्रा; ऊषा यादव 546
हिन्दी उपन्यास की सुदीर्घ परम्परा और स्त्री लेखिकाएँ–डॉ. सुरेन्द्र सिंह; डॉ. यदुवीर सिंह खिरवार 549
'मृदुला गर्ग की कहानियों में समकालीन नारी' ''समकालीन कहानी का अस्तित्व''–मंजू कुमारी 552
बहुजन उपन्यास में बदलता परिवेश–डॉ. राजेंद्र घोडे 554
अनामिका : व्यक्तित्व और कृतित्व–स्वर्णिम शिप्रा 556
नेपाल में चीन के बढ़ते कदम: भारत के परिपेक्ष्य में–आशुतोष कुमार 559
मनुस्मृति के परिप्रेक्ष्य में नारी विमर्श–डॉ. ईशरत सुल्तान 563
हिन्दी कथा साहित्य में पूंजीवादी व्यवस्था एवं पृष्ठभूमि–डॉ. प्रदीप कुमार सिंह 566
मार्गदर्शक तुलसीदास–रघुनन्दन हजाम 580
भारत में नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों का उद्भव एवं विकास–डॉ० राहुल देव 583
संत सुंदरदास और उनका 'सुन्दरविलास'–वीरेश कुमार 588
आचार्य राम चंद्र शुक्ल का हिंदी में विज्ञान सम्बन्धी चिंतन में योगदान (विश्व प्रपंच की भूमिका के सन्दर्भ में)
–सुजीत कुमार त्रिपाठी 'पुरकैफ' 590
बिहार में राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक महत्व के कारण पर्यटन स्थलों का विकास–मनु कुमार; डॉ0 राधेश्याम सिंह 593
वैश्विक एकता और अखंडता की अभिलाशी प्रवासी कविताएं (सुरेशचन्द्र शुक्ल के 'गंगा से ग्लोमा तक' का संदर्भ)
–प्रो० (डॉ.) सुधा जितेन्द्र; रमनदीप कौर 597
असम में कोरोना महामारी : साहित्य और सोशल मीडिया–मिजानुर हुसैन मण्डल 603
जम्मू कश्मीर के पुराणों का महात्म्य–मीना कुमारी 606
रहस्यवादी कवि नुन्द ऋषि के श्रुकों का भाषावैज्ञानिक परिचय–परवेजा अखतर 611
सामाजिक अनुसंधान तथा तकनीकी विकास–डॉ. अनुराग कुमार पाण्डेय 615
दक्षिण एशिया क्षेत्र में ड्रग्स और छोटे हथियारों की तस्करी–मिथिलेश; डॉ. शकील हुसैन 619
मौर्य काल से वर्तमान काल तक यक्ष पूजा : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन–प्रो० देवेन्द्र कुमार गुप्ता; अवधेष कुमार 623
बूंदी जिले के बरड़ क्षेत्र में खनन उद्योग का आर्थिक-सामाजिक पर्यावरण पर प्रभाव–जुगराज मीना 626
गोलमेज सम्मेलन : दलित सामाजिक समस्या एंव राजनीतिक अधिकारों का एक अध्ययन–सुरेन्द्र 631
भारत छोड़ो आंदोलन में छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज की भूमिका–श्रीमती अनिता बरगाह; डॉ. राजीव शर्मा 634
हरियाणा के सिरसा जिला में भूमि किराया अधिनियम एवं कृषि परिवर्तन (1803-1900)–सुरेन्द्र सिंह 638
शाही नौसैनिक विद्रोह (1946) व उच्चवर्गीय भारतीय नेताओं का रवैया–मोहन लाल 642
भारत -रूस संबध : सामरिक संबंधो का 21 वीं शताब्दी के संदर्भ में एक अध्ययन–डॉ रणबीर गुलिया; अमित कुमार 646
संपोशणीयता की दृष्टि का भारतीय आधुनिक दृष्य कला में प्रयोग: एक विवेचन–अर्जुन कुमार सिंह; अमित कुमार दास 650

भारत के मुकाबले चीन का नेपाल में बढ़ता प्रभाव : एक अध्ययन–सत्येन्द्र कुमार 657
महिला सशक्तिकरण में लोकनीति का योगदान–सीमा 660
पर्यावरण-संरक्षणम्–डॉ. मधु बाला मीना 663
अलवर मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र का विकास एवं सम्भावनाएँ–प्रतिभा बैरवा 667
भारत में मेक इन इण्डिया की अवधारणा और आर्थिक विकास का सन्दर्भ–प्रोफेसर (डॉ.) संजय कुमार झा 672
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नये दिशा निर्देश पी.एच.डी. शाोध उपाधि के सन्दर्भ में
–डॉ. संजीत कुमार साहू; डॉ. राकेश कुमार डेविड; डॉ. शोभना झा 676
राष्ट्रीय आन्दोलन में सुभाष चन्द्र बोस की भूमिका–संतोष कुमार शर्मा 680
ब्रिटिश कालीन भारत में कृषक समस्या (चंपारण के विशेष संदर्भ में)–प्रभाव और परिणाम–धीरज कुमार 684
वैश्विक महामारी एवं मानसिक स्वास्थ्य संकट मनोविज्ञान की भूमिका एवं मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेपों की आवश्यकता–डॉ. रश्मि पंत 689
नीमराना में ठोस अपशिष्टों का भौगोलिक अध्ययन–अरविन्द शुक्ला; डॉ. खेमचन्द शर्मा 693
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् (शि.पु. को. रू. सं. के संदर्भ में)–डॉ. गोपेश कुमार तिवारी 698
महिला रोजगार पर शिक्षा का प्रभाव: एक प्राथमिक विश्लेषण–डॉ. अरविन्द कुमार 701
यौगन्धरायण में सांस्कृतिक दर्शन–डॉ. वेद प्रकाश मिश्र; श्रीमति नगीता सोनी 705
भारत में जनसंख्या नियंत्रण नीति : एक सामाजिक-विधिक अध्ययन–रमेश कुमार प्रजापति 709
'हिन्द स्वराज' में वर्णित विचारों का आज के भारत के लिए प्रासंगिकता–राजेश कुमार 714
राजस्थान में राजनीतिक दलों की सहभागिता एवं प्रदर्शन–डॉ. जनक सिंह मीना 717
भारत-मालदीव समकालीन द्विपक्षीय संबंध–विजय शंकर चौधरी 724
स्वतन्त्रता के बाद गोरखपुर में हिंदुत्व का प्रसार और सहायक संस्थाए–प्रमोद कुमार पाण्डेय 728
कांमा तहसील में अवैध खनन एवं पर्यावरण पर प्रभाव–चन्द्र शेखर; डॉ. गायत्री यादव 732
प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन का ग्रामीणों के उत्थान में योगदान–डॉ. पंकज मिश्र 737
छायावादी कविता में राष्ट्रीय चेतना–डॉ. आलोक प्रभात 740
भारतीय लोकतंत्र में सोशल मीडिया का प्रभाव: गैर-हिंदी भाषी राज्यों के विशेष संदर्भ में–डॉ. संजय सिंह बघेल 743
सार्वजनिक वितरण प्रणाली, चुनौतियों और समाधान–जलेंद्र कुमार शर्मा 752
यज्ञानुष्ठान में वेदांगों की उपादेयता–कुमुद कुमार पाण्डेय 759
पहाड़ी अंचल में बसी काँगड़ा चित्र शैली का विकासक्रम–डॉ. निशा गुप्ता 765
प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में पाठ्यक्रम व्यवस्था–डॉ. सुनीता 769
श्रीमद्भागवद्गीता में वर्णित नैतिक शिक्षा–डॉ. सरोज कुमार जायसवाल 774
ज्योतिबा फुले के कार्यों में मानवतावादी चिंतन–डॉ. अजय बहादुर सिंह 777
उत्तर आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में अलका सरावगी का उपन्यास 'एक ब्रेक के बाद'–निशा रानी 781
भारत में कोरोना और स्वदेशी संकल्प–डॉ. युवराज कुमार 784
'आषाढ़ का एक दिन' नाटक में नारी (आधुनिकता के विशेष संदर्भ में)–संगीता कुमारी पासी 790
विकास के क्रम में भारतीय समाजशाास्त्र–डॉ. दिनेश व्यास; डॉ. गौरव गोठवाल 793
माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के समायोजन का अध्ययन–प्रेरणा सेमवाल 798
सभ्य समाज की असभ्य सोच-चीफ की दावत–मीनाक्षी शर्मा 805
मकराना शहर में खनन एवं औद्योगिक गतिविधियों से बढता ध्वनि प्रदूषण: एक चुनौती–निशा चौधरी; डॉ. रश्मि शर्मा 807
वेदों के विषय में आचार्य सायण एवं महर्षि दयानन्द का दृष्टिकोण–सुनील कुमार 813
वैश्विक महामारी : समावेशी विकासीय परिप्रेक्ष्य का समाजशास्त्रीय अध्ययन (अनुसूचित जातियों के विशेष संदर्भ में)–डॉ. चन्द्रा चौधरी 818
सार्त्र और मार्क्सवाद : एक समीक्षात्मक अध्ययन–श्याम रंजन पाण्डेय 823
अश्विनीकुमार : एक कथा–डॉ. नीलम सिंह 826
कोविड-19 और भारतीय शिक्षण प्रणाली में बदलाव-एक अध्ययन–डॉ. राजेश्वर दिनकर रहांगडाले 828
ग्रहण का वैज्ञानिक स्वरूप–डॉ. भगवानदास जोशी 831

राहुल सांकृत्यायन की कहानियों में अभिव्यक्त समाज : एक विश्लेषण–डॉ. कश्मीरी लाल 836
सामाजिक अवमूल्यन में पत्रकारिता की भूमिका–प्रो. (डॉ.) अरुण कुमार भगत; प्रो. अमिताभ श्रीवास्तव 839
सूफी काव्य में सृष्टि का सौंदर्य और प्रेम चित्रण–डॉ. दिलीप कुमार कसबे 843
भारत-पाकिस्तान संबंध एवं आतंकवाद–डॉ. सुरेन्द्र सिंह 846
बुद्धिमता के खोखले अहं में पनपते विमोह का यथार्थ चित्रण : आपका बंटी–डॉ. लवलीन कौर 852
कुमाऊँ मण्डल के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवासी श्रमशक्ति की व्यवसायिक गतिविधियां (एक सामाजिक विश्लेशण)–विजेता पवार 857
आधुनिक दलित साहित्य की चेतना और प्रेमचंद के साहित्य में निहित दलित चेतना : एक तुलनात्मक अध्ययन–प्रांजल कुमार नाथ 861
मिथकीय चेतना : अर्थ, परिभाषा और अवधारणा–सचिन मदन जाधव 865
क्षेत्रीय भू-राजनीति एवं भू-आर्थिक आयाम का सैद्धांतिकीय विश्लेषण–रत्नेश कुमार यादव 869
भरतपुर ज़िले में जल जनित रोगों में मलेरिया का तुलनात्मक अध्ययन–देवेन्द्र कुमार शर्मा 874
समकालीन भारत के संदर्भ में एकात्म मानववाद–मुनमुन 881
रचनात्मक अभिव्यक्ति और जैनी मेहरबान सिंह–डॉ. राम बिनोद रे 885
कोशी अंचल की लोक कथाओं का विश्लेषण–विनय कुमार चौधरी 888
अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वांगीड विकास हेतु किए गए सरकारी प्रयासों का समाजशास्त्रीय मूल्यांकन–मनोज कुमार वर्मा 892
मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं का यौगिक चिकित्सा व प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा प्रबंधन
–डॉ. राधिका चन्द्राकर; डॉ. सावित्री साहू; श्री आशीष धार दीवान; सुश्री मालती बाग; डॉ. राधिका चन्द्राकर 895
राजेंद्र यादव का आत्मकथ्यांश 'मुड-मुड़के देखता हूँ...': वैचारिक पक्ष–डॉ. साताप्पा लहू चव्हाण 901
कालिदास के रूपकों में प्रमुख पुरुष-पात्रों की विनियोजना का वैशिष्ट्य–सुस्मिता रानी 904
राही मासूम रज़ा के हिन्दी उपन्यासों में लोकजीवन–ईश्वर चन्द्र 908
भारत छोड़ो आंदोलन एक जन-विद्रोह–लव कुमार 912
संयुक्त प्रान्त में रेलवे के विकास के सामाजिक प्रभाव 1860-1914–रमेश कुमार 916
कैमूर जिला में सरकारी योजनाओं का महिला साक्षरता पर प्रभाव–रीता कुमारी 920
राष्ट्रीय आंदोलन में सत्य अंहिसा के पुजारी महात्मा गाँधी: एक अध्ययन–डॉ. संजीव 924
सुभाषचन्द्र बोस के राजनीतिक विचारधारा पर महात्मा गाँधी के प्रभाव का ऐतिहासिक अध्ययन–तौकीर आलम 926
राजनीतिक दलों का लोकतांत्रिक व्यवस्था में समीक्षात्मक अध्ययन–डॉ. लवलेश कुमार 930
भारत में हरित क्रांति का एक संक्षिप्त मूल्यांकन–अनूप कुमार सिंह 932
"गाँधी : मनुष्य से महात्मा"–डॉ. दिग्विजय नाथ चौबे 936
वैश्वीकरण एवं भारत की पर्यावरण नीति: एक अनुशीलन–सुनीता महतो 939
अहिंसा..... एक दृष्टि–डॉ. मोनिका गर्ग; डॉ. हिमानी भाटिया 944
अठारह सौ सत्तावन की क्रांति में दलित महिलाओं की सक्रिय भूमिका- एक ऐतिहासिक अध्ययन–बबली कुमारी 947
स्वतंत्रता संग्राम में मौलाना आजाद की पत्रकारिता की भूमिका : 'अल-हिलाल' के विशेष संदर्भ में–रूखसाना बानो 951
उस्ता कला (16वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य)–मरियम बानो 955
दरोगा प्रसाद राय एवं बिहार का नेतृत्त्व–दिवा कान्त किरण 957
आदिवासी बहुल क्षेत्र में उच्च शिक्षा की स्थिति (राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों का अध्ययन)–डॉ. मुख्त्यार अली 960
वर्तमान परिवेश में निर्देशन की आवश्यकता–सरोज कंवर राठौड; प्रो. मंजू शर्मा 971
दर्शन शास्त्र के स्तम्भत्रय (ज्ञानयोग तथा ज्ञानोपलब्धि के विशेष सन्दर्भ में)–उमेश कुमार; डॉ. अरुण कुमार सिंह 976
'ज़िन्दगी 50-50 : अपूर्णता से पूर्णता की तलाश'–डॉ. निशा जम्वाल 981
आर्थिक विकास की गांधीवादी परिकल्पना और लघु कुटीर उद्योग–डॉ. राजेश कुमार 983
स्वच्छंदतावाद का सैद्धान्तिक विवेचन–डॉ. सरिता 985
हिंदी उपन्यास साहित्य में चित्रित पूर्वोत्तर का राजनीतिक जीवन–डॉ. सरिता; संजीव मण्डल 988
बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास–शशि शेखर द्विवेदी; मनीष कांत 997

कोरबा जिले के आदिवासियों द्वारा विभिन्न लघु-वनोपज के संग्रहण करने एवं विक्रय की प्रक्रिया का अध्ययन
–प्रिंस कुमार मिश्रा; प्रो. प्रभाकर पाण्डेय 1003
ज्योतिष के वैज्ञानिक तत्व की प्रमाणिकता : एक अध्ययन–गणेश प्रसाद तिवारी; प्रो. वेद प्रकाश मिश्र 1008
ग्रामीण स्वास्थ्य: सुविधाएं, समस्याएं एंव चुनौतीयों का एक अध्ययन (ग्राम चिनौरी कांकेर जिले के संदर्भ में)
–मंजरी ग्वाले; डॉ. रीना तिवारी 1014
अनुसूचित जनजातियों में रोजगार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति का आंकलन–डॉ. सरला चतुर्वेदी; इम्तियाज खॉन 1039
अनुसूचित क्षेत्रों के विकास में पेसा की भूमिका अलोचनात्मक अध्ययन (नारायणपुर जिले के संदर्भ में)
–डॉ. ऋचा यादव; सुदर्शन कुमार मण्डल 1044
कोरोना ने भारतीय अर्थव्यवस्था को दिया झटका–डॉ. अनामिका तिवारी 1049
पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में भारत छोड़ो आन्दोलन–डॉ. रितेश्वर नाथ तिवारी 1054
मनोविज्ञान पर दर्शनशास्त्र का प्रभाव–मनीष कांत; शशि शेखर द्विवेदी 1058
महिला सशक्तिकरण: आर्थिक सशक्तिकरण–डॉ. समरेंद्र शर्मा 1062
वेदों में विश्वबंधुत्व की भावना–तरूण कुमार सिंह 1065
विष्णु प्रभाकर के नाटकों में नारी का स्वरूप–स्मिता शर्मा; डॉ. चित्रा 1068
जलवायु परिवर्तन का कृषि पर का प्रभाव–प्रविण कुमार एम. लोणारे 1071
भारतीय राजनीति में महिलाओं की सहभागिता : एक अध्ययन–प्रा. एच. पी. पारधी 1074
महर्षि दयानन्द सरस्वती और दीनदयाल उपाध्याय के चिन्तन में समरूपता का अध्ययन
–डॉ. संजय कुमार; डॉ. प्रमोद कुमार 1076
महिला सशक्तीकरण में उच्च शिक्षा का योगदान–श्वेता पांडे 1084
वर्तमान सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति तथा समाज के अंतरसंबंधों का एक ऐतिहासिक अध्ययन–डॉ. विधान चन्द्र भारती 1090
कन्या भ्रूण हत्या : भारत की एक गम्भीर समस्या–भूपेन्द्र प्रताप सिंह 1095
निजी विद्यालयों पर वैश्विक महामारी के (कोविड-19) प्रभाव का अध्ययन: सरदारपुर तहसील के विशेष सन्द्रर्भ में–डॉ. डुंगरसिंह मुजाल्दा 1103
प्राचीन भारतीय समाज में प्रचलित विवाह पद्धति एवं वैवाहिक विधि-विधानों का एक ऐतिहासिक अध्ययन–सम्पत्ति; प्रो. डी.पी. सकलानी 1110
अमरकंटक परिक्षेत्र के विकास में कृषि का योगदान : एक ऐतिहासिक अध्ययन–निर्मला तिवारी; डॉ. रीता पाण्डेय; प्रो. आभा रूपेंद्र पाल 1115
अल्पसंख्यक समुदाय का मतदान व्यवहार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में–रेणु सिंग; डॉ. संगीता घई; डॉ. अजय चंद्राकर 1122
कश्मीरी आदि कवयित्री ललद्यद और उनका रहस्यवाद–दीपिका शर्मा 1126
पर्यावरण संरक्षण की वैदिक दृष्टि–डॉ. दीप्ति वाजपेयी; कु. मोनिका सिंघानिया 1129
भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य–प्रतिभा सिंह 1133
गाजीपुर जनपद में प्राकृतिक आपदाओं का सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं पर प्रभाव–कौसर नाजमी 1136
छत्तीसगढ़ के लोक-जीवन में राम–डॉ. राजेश दुबे; डॉ. (श्रीमती) शैल शर्मा; ज्योतिबाला साहू 1139
भारतेंदुयुगीन साहित्य पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव–डॉ० अपराजिता जॉय नंदी 1142
उपभोक्तावाद, आर्थिक विकास से उत्पन्न होने वाली एक सामाजिक समस्या–डॉ० जयराम बैरवा 1145
उपसंहार : अंत ही मानवता का आरंभ–प्रीति पाण्डेय 1150
हिंदी के आदिवासी केंद्रित उपन्यासों में चित्रित नारी जीवन–डॉ. मालोजी अर्जुन जगताप 1155
"ग्रामीण महिलाओं की पंचायती राज में भूमिका"–डॉ. संजय बुदेला; किरण कुमारी 1158
छात्रों की अध्ययन संबंधी आदतों पर पारिवारिक व सामाजिक वातावरण का प्रभाव–डॉ. मंजू शर्मा; मनु सिंह 1161
"एक राष्ट्र, एक चुनाव": विश्लेशणात्मक अध्ययन–खुशबू गोस्वामी; प्राफेसर (डॉ.) सपना गहलोत 1166
बालिका शिक्षा के विकास में आवासीय शिक्षण शिविरों की भूमिका–प्रो. (डॉ.) मंजू शर्मा; टीना चौधरी 1173
भारत में थर्ड जेंडर स्थिति : बेहतर और बदत्तर?–दिव्या 1179
स्वच्छता पर गाँधीवादी दृष्टिकोण–गुलशन कुमार 1183
मानवाधिकार एवं महिलाऐं : राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में–समिधा सिंह 1186
डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर के राजनीतिक विचारों का परीक्षण–फरीद आलम 1189

समकालीनता के परिप्रेक्ष में अनु मेहता की कविताएँ–डॉ. अरविन्द कुमार यादव 1192
स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की सहभागिता–डॉ. संध्या जायसवाल; विनीता गुप्ता 1197
भारतीय नयी शिक्षा नीति (2020) में गांधी–देवेन्द्र कुमार 1203
लैंगिक असमानता की समस्या और मैत्रेयी पुष्पा की कहानियाँ–डॉ. गुलाम फरीद साबरी 1205
द्वारिका प्रसाद तिवारी "विप्र" के काव्य में गांधीवाद का प्रभाव–डॉ. गौकरण प्रसाद जायसवाल 1208
वर्तमान व्यावसायिक परिदृष्य में ई-कामर्स की उपयोगिता–डॉ. दिलीप कुमार गुप्ता 1213
असहयोग आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका–मो. फिरोज अंसारी 1218
भारतीय संस्कृति एवं एकात्म अर्थ चिंतन–प्रो. शिवदयाल सिंह; धीरज कुमार पारीक 1220
विद्यार्थियों के लक्ष्य निर्धारण में आकांक्षा स्तर की उपादेयता–मधु गुप्ता; डॉ. रेखा शुक्ला 1223
छिन्नमस्ता: अस्तित्व एवं अस्मिता की तलाश–नम्रता; डॉ. प्रभात रंजन 1228
भूमण्डलीकरण के दौर में गाँव : 'ग्लोबल गाँव के देवता' उपन्यास के संदर्भ में–डॉ. रम्या बालन. के 1231
शेखावाटी के पर्यटक स्थल एक भौगोलिक अध्ययन–डॉ. विनोद कुमार सैनी 1235
हरियाणा में प्राथमिक कार्यों में लैंगिक विषमता: एक प्रादेशिक विश्लेषण–डॉ. विजय प्रकाश 1239
इतिहास के दृष्टिकोण से साहित्य, मनोविज्ञान और वाणिज्य का अवलोकन–डॉ. स्नेहलता सिंह 1245
भूमंडलीकरण और नई कहानीकार–अनवर खान; डॉ. बी.एन. जागृत 1248
गांधीवादी राज्य : भारत में एक विकल्प–सुभाष चन्द उपाध्याय 1250
नई शिक्षा नीति 2020 और दिव्यागंता–डॉ. रितेश सोलंकी 1254
वर्तमान संदर्भ में बच्चे के पालन-पोशन में माता-पिता की भूमिका : एक सामान्य विश्लेषण–संजीव कुमार 1261
झुग्गी झोपड़ियों में शैक्षिक समस्याएं एवं चुनौतियाँ : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन–मानस उपाध्याय 1264
जैनेन्द्र के उपन्यासों में जीवन दर्शन एवं उसका महत्व–आशीष यादव 1269
मरिआई : महाराष्ट्र के विशेष संदर्भ में ऐतिहासिक अध्ययन–डॉ. अतुल अर्जुन ओहाल 1271
हिन्दी साहित्य में मीडिया का बदलता स्वरूप–मीनाक्षी सिंह 1273
रहीम और तुलसी रचित नीति के दोहों की प्रासंगिकता–डॉ. निर्मल चक्रधार 1276
भारतीय जीवन – मूल्य : विदेशियों की दृष्टि–डॉ. सुप्रिया पी. 1280
यात्रा-वृत्तान्त में पाकिस्तान का साक्ष्य (चयनित यात्रा-वृत्तान्तों के संदर्भ में)–स्मृतिरेखा नायक 1282
विष्णु प्रभाकर के नाटकों में नारी का स्वरूप–स्मिता शर्मा; डॉ. चित्रा 1287
मोहन राकेश के नाटकों के नायक–प्रा. डॉ. विजया जगन्नाथ पिंजारी शिंदे 1290
विशिष्ट भौतिक विकास और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए विशेष योजनाओं में छात्रों के लिए खेल–डॉ. मंजू शर्मा; आरती गुप्ता 1294
भारतीय खेल प्रबन्ध - एक विश्लेषणात्मक अध्ययन–डॉ० अमित कुमार सिंह 1300
अभिनय प्रस्तुतिकरण में सात्विक भावों का विश्लेषण–डॉ. आदीश कुमार वर्मा 1303
नरेंद्र वर्मा का व्यक्तित्व एवं कृतित्व–डॉ. सविता मिश्रा; चंचल बाला 1305
राजस्थान में पर्यटन विकास : उदयपुर जिले के विशेष सन्दर्भ में–भूमिका मेघवाल; डॉ० वन्दना वर्मा 1308
भारत में ब्रिटिश कालीन न्याय व्यवस्था : ऐतिहासिक परिचय–सौरभ कुमार जैन 1314
विकास की वर्तमान अवधारणा और गांधीवाद–डॉ० पिंकी पुनिया 1317
सीकर जिले में भूमिगत जल स्तर : श्रीमाधोपुर तहसील का एक विश्लेषण–दिलबाग; डॉ० मोनिका रोत 1322
राहुल सांकृत्यायन के यात्र-साहित्य में ग्रामीण लोकजीवन एवं सांस्कृतिक परिदृश्य–निशा चौहान 1325
गांधीवादी दृष्टिकोण में कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत–ऋतेश भारद्वाज 1329
इतिहास भर में अफ्रीका–प्रशांत कुमार वशिष्ठ 1335
बांग्लादेश में बदलती दलीय प्रणाली की रूपरेखा–वीना कुकरेजा 1339
भारतीय राष्ट्रवादी विचार की विभिन्न धाराएँ–डॉ. प्रशांत देशपांडे 1344

प्राचीन भारतीय समाज में प्रचलित विवाह पद्धति एवं वैवाहिक विधि-विधानों का एक ऐतिहासिक अध्ययन

सम्पत्ति

शोधछात्रा (Corresponding Author)

प्रो. डी.पी. सकलानी

आचार्य, इतिहास एवं पुरातत्व विभाग, हे.न.ब.ग.वि.वि., श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखण्ड़, 246174

शोध सार

विवाह मानव समाज द्वारा निर्मित एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रथा एवं सामाजिक संस्था है, जो मानव के सामाजिकीकरण के साथ ही विकसित हुई। मनुश्य की यौन और सन्तानोत्पत्ति की मूल प्रवृत्तियों की संतुष्टि को विवाह के माध्यम से ही संभावना मिली तथा वंष, कुल और परिवार की निरन्तरता विवाह संस्था से ही निर्मित हुई तथा जीवन के विविध पक्ष इसी से अनुप्राणित होते रहे हैं। सही अर्थों में विवाह किसी भी मानवीय समाज की प्रमुख शाखा परिवार का प्रधान आधार रहा है, जिससे संतान की उत्पत्ति के साथ-साथ उसका विकासक्रम भी अभिव्यक्त होता है। भारतीय समाज में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में प्रत्येक समयकाल में उपस्थित रही है। प्रस्तुत शोधपत्र में प्राचीन भारतीय समाज में प्रचलित विवाह के स्वरूप एवं विधि-विधानों के निश्पादन प्रक्रिया का एक ऐतिहासिक अध्ययन किया जा रहा है।

मुख्य शब्द- विवाह, ऋग्वेद, अथर्ववेद, गृह्यसूत्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति।

प्रस्तावना

विवाह का अर्थ एवं ऐतिहासिक परिचय- विवाह शब्द 'संस्कृत' भाषा के वि़वाह शब्दों से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है- विषष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना। साधारणत: 'विवाह' शब्द का अर्थ है वधू को उसके पिता के घर से विशेष रूप में ले जाना अथवा किसी विषेष कार्य के लिए अर्थात् पत्नी बनाने के लिए ले जाना।[1] विवाह के लिए संस्कृत में अनेक शब्द प्रचलित हैं जैसे- उद्गाह, परिणय, उपयम व पाणिग्रहण आदि। **'उद्वाह'** का अर्थ है, वधू को उसके पिता के घर से ले जाना। **'परिणय'** का अर्थ है चारों ओर घूमना अर्थात् अग्नि की परिक्रमा अथवा प्रदक्षिणा करना। **'उपयम'** का अर्थ है किसी को निकट लाकर अपना बनाना तथा **'पाणिग्रहण'** का अर्थ है वधू का हाथ ग्रहण करना।[2] विवाह की आधुनिक समाजशास्त्रीय परिभाषा के अनुसार विवाह दो व्यक्तियों अर्थात् एक पुरुष व एक स्त्री के धार्मिक अथवा कानूनी रूप से एक साथ रहने के लिए प्रदत्त सामाजिक मान्यता है एवं यह मानव समाज की अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रथा व समाजशास्त्रीय संस्था है। यह समाज का निर्माण करने वाली सबसे छोटी इकाई परिवार का मूल है व मानव जाति के सातत्य को बनाए रखने का प्रधान जीवषास्त्रीय माध्यम भी।[3] अत: आधुनिक समाजशास्त्री एवं धर्मशास्त्री समाज द्वारा अनुमोदित परिवार की स्थापना करने वाली किसी भी पद्धति को विवाह मानते हैं व उस क्रिया, संस्कार विधि या पद्धति को स्वीकार करते हैं जिससे पति-पत्नी के स्थायी संबंधों का निर्माण होता है। पाष्चात्य समाजशास्त्री वेस्टरमार्क ने विवाह को नियन्त्रित यौन संबंध से अधिक उद्देश्य वाला स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया है कि- ''विवाह एक या अधिक पुरूषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ जुड़नेवाला वह संबंध है जो ऐसी प्रथा अथवा कानून द्वारा स्वीकार किया जाता है जिसमें दोनों पक्षों और उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों के अधिकार और कर्त्तव्य समाविष्ट होते हैं।''[4]

वैवाहिक विधि-विधानों के विकास के पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान के लिए यह समझना आवश्यक है कि विवाह नामक संस्था का उद्भव किस प्रकार, क्यों? और किन परिस्थितियों में हुआ तथा वह कौन सी परिस्थितियां रहीं जिनसे विवाह-संस्था का विकास हुआ? मानव समाज में विवाह संस्था के प्रादुर्भाव के संबंध में इतिहासकारों व समाजशास्त्रियों का मानना है कि मानव जीवन के प्रारम्भिक काल में प्राचीन मानव समाज घुमन्तू था। इनके द्वारा सभ्यता के विकास से पहले तक दलवृत्ति में रहकर ही आपसी संबंध रखे जाते थे। स्त्री और पुरुष के मध्य शारीरिक संबंधों की स्वच्छन्दता थी और किसी स्त्री द्वारा बच्चे को जन्म देने के बाद वही उसकी संरक्षिका होती थी। पुरुष की उस बच्चे के पालन-पोषण में कोई भागीदारी नही होती थी। समय के साथ जब यह कृषि समाज की ओर मुड़े तो महिलाओं द्वारा बच्चे के पिता अथवा उसके पितृसत्तात्मक संरक्षक तथा विभिन्न अवधियों के लिए माता व नवजात शिशु की रक्षा व उनके

लिए उस अवधि में भोजन की आवश्यकता महसूस की गई। अत: अब समाज मातृसत्तात्मक से पितृसत्तात्मक की ओर मुड़ चला और अब मनुष्य में अपना परिवार जिसमें एक पत्नी और बच्चे की प्रवृत्ति का विकास हुआ, जो आगे चलकर विवाह जैसी संस्था के रूप में समाज में स्थापित हुआ। अत: विवाह संस्था की इस विचारधारा से ही परिवार रूपी संस्था का विकास हुआ, जिसमें स्त्री-पुरुष द्वारा साथ रहकर अपने बच्चे के लिए समान कर्त्तव्यों का निर्वहन कर उनका पालन-पोषण करने की भावना का विकास हुआ।[5]

भारतीय संस्कृति में विवाह की अवधारणा- प्राचीन हिन्दू मान्यताओं के अनुसार मानव जीवन को चार आश्रमों (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व सन्यास) में विभक्त किया गया है और गृहस्थ आश्रम के लिए पाणिग्रहण संस्कार अर्थात् विवाह नितान्त आवश्यक बताया गया है। इसीलिए अधिकांश गृह्यसूत्रों का आरम्भ ही विवाह संस्कार से होता है, क्योंकि विवाह को समस्त गृह्यसूत्रों व संस्कारों का उद्‌गम अथवा केन्द्र माना गया है। वैदिक ऋचाओं तथा गृह्यसूत्रों में आजीवन स्थायी व नियमित विवाह की सराहना की गयी है। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में विवाह संस्कार की काव्यमय अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। इस समय विवाह स्वयं एक यज्ञ माना जाता था और जो व्यक्ति विवाह कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश नही करता था, उसे अयज्ञीय अथवा यज्ञहीन कहा जाता था, जो निश्चय ही वैदिक आर्यों की दृष्टि में अत्यन्त निन्दासूचक शब्द था।[6] ऋग्वेद कालीन समाज में परिवार एक मजबूत संस्था के रूप में दृढ़तापूर्वक प्रतिष्ठित हो चुकी थी, जो यौन संबंधों की प्राग्वैवाहिक स्थिति में सम्भव नहीं थी। वैदिक साहित्य में यौन संबंधों की स्वेच्छाचारिता का कोई भी उदाहरण नहीं मिलता। इसका उल्लेख केवल महाभारत में ही प्राप्त होता है।[7] महाभारत में कहा गया है कि अति प्राचीन काल में स्त्रियां स्वतन्त्र तथा अनावृत थीं, वे किसी भी पुरुष के साथ यौन संबंध स्थापित कर सकती थीं, भले ही वे विवाहित क्यों न रही हों।[8] महाभारत में पांडु ने अपनी पत्नी कुंती को नियोग[9] के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि पुराने जमाने में विवाह की कोई प्रथा न थी। स्त्री पुरूषों को यौन संबंधों की पूरी स्वतन्त्रता थी।[10] इस प्रथा का अन्त उद्‌दालक के पुत्र श्वेतकेतु ने किया था तथा श्वेतकेतु द्वारा ही भारत में सर्वप्रथम विवाह संस्था की मर्यादा की स्थापना मानी जाती है।[11]

प्राचीन समाज में विवाह की अनिवार्यता के सन्दर्भ में महाभारत से विदित होता है कि जरत्कारू नामक एकनिष्ठ ब्रह्मचारी ने आजीवन विवाह न करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था, परन्तु अपने पितरों की दुर्दशा देखकर उसे अपना प्रण तोड़ना पड़ा व नागराज वासुकी की बहन से विवाह कर तत्संबंधी धार्मिक कृत्य किया।[12] तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि 'अपत्नीक पुरुष अयज्ञीय अथवा यज्ञहीन है, एकाकी पुरुष अधूरा है व उसकी पत्नी उसका अर्द्धभाग है।'[13] धर्मसूत्रों से विदित होता है कि नैतिक ब्रह्मचारियों की संख्या अत्यन्त परिमित थी तथा अधिकांश युवक विवाह कर गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। स्मृतियां आश्रम व्यवस्था का पूर्णत: समर्थन कर इस बात का दृढ़तापूर्वक प्रतिपादन करती हैं कि ब्रह्मचर्याश्रम के पश्चात् प्रत्येक पुरुष को अनिवार्य रूप से विवाह करना चाहिए।[14] मनुस्मृति में मनु ने विवाह के प्रधान उद्देश्य धर्म का पालन, पुत्र की प्राप्ति एवं रति-सुख बताए हैं तथा विवाह को देवऋण, ऋषिऋण, पितृऋण, अतिथिऋण और भूतऋण से मुक्ति का मार्ग माना है।[15] अत: इस समय धार्मिक चेतना का विकास होने पर विवाह सामाजिक आवश्यकता ही नहीं रहा, अपितु वह प्रत्येक व्यक्ति का एक अनिवार्य धार्मिक कर्त्तव्य भी समझा जाने लगा।

प्राचीन भारतीय समाज के अतिरिक्त अन्य प्राचीन देशों में भी विवाह को अत्यन्त सम्मानित स्थान प्राप्त था। इजराइल की जनता में भी विवाह का आदर एवं उद्देश्य हिन्दुओं के समान था। यूनान में भी विवाह को अत्यन्त आदर की दृष्टि से देखा जाता था और विवाह को पवित्र संस्कार समझा जाता था। एथेन्स में तो यह भावना इतनी मजबूत हो गई थी कि एक अधिनियम द्वारा नगर के प्रथम शासक को इस बात की देखभाल करने का आदेश दिया गया था कि कहीं कोई वंश उच्छिन्न न हो जाए।[16] प्लूटार्क लिखता है कि स्पार्टा में अविवाहित व्यक्ति अनेक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता था और युवक अविवाहित वयोवृद्धों का आदर नहीं करते थे। अन्य प्राचीन राष्ट्रों की भाँति रोमन भी विवाह को अत्यन्त महत्वपूर्ण व पवित्र मानते थे तथा अविवाहित रहना सार्वजनिक दृष्टि से अवांछनीय समझा जाता था, क्योंकि यह राज्य जिसे बहुसंख्यक सहायकों की आवश्यकता थी और परिवार जिसे पितरों व गृहदेवताओं की अविच्छिन्न पूजा के लिए पुत्र अपेक्षित थे, दोनों के लिए समान रूप से हानिकारक था।[17]

विवाह प्रकार : ऋग्वैदिक युग में युवक-युवतियां अपने जीवनसाथी का चुनाव स्वयं करने के लिए स्वतन्त्र थे। ऋग्वेद के सप्तम मण्डल (7.2.5.) में वर्णित **'समन'** उत्सव का वर्णन किया गया है, जिसमें शस्त्र चलानेवाले, अच्छे घुड़सवार, खेल विशेषज्ञ, रथ चलानेवाले, नट व कवि सभी अपने-अपने हुनर का प्रदर्शन करके पुरस्कार प्राप्त करते थे। इस उत्सव में लड़कियां अपना मनपसन्द पति पाने की आशा में सज-संवर कर जाती थीं।[18] **अथर्ववेद** के अनुसार इस समन उत्सव में भाग लेना कुंवारी कन्याओं के लिए जरूरी गुण माना जाता था। **ऋग्वेद** (7.55.5-8) की एक प्रार्थना से स्पष्ट होता है कि किस प्रकार भागकर विवाह करने के लिए एक पुरुष अपनी प्रेयसी के भाइयों, कुत्तों एवं अन्य संबंधियों को गहरी नींद में सुलाकर अपनी प्रेयसी को लेकर भाग जाने की योजना कर रहा था।[19] गृह्यसूत्र एवं शास्त्रों में विवाह के अनेक प्रकारों का उल्लेख किया गया है। **मानव-गृह्यसूत्र** और **वाराहगृह्यसूत्र** में केवल ब्राह्म तथा आसुर (शुल्क) विवाह प्रकारों का ही उल्लेख है।[20] आश्वलायन गृह्यसूत्र में विवाह के आठ प्रकारों- ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस और पैशाच का उल्लेख किया गया है।[21] महाभारत युग में चार प्रकार के विवाह प्रकारों- ब्राह्म, गान्धर्व, आसुर और राक्षस का उल्लेख मिलता है। इनमें केवल ब्राह्म विवाह में ही मन्त्रोचार और यज्ञ-कार्य की आवश्यकता होती थी। अन्य तीन प्रकार के विवाह में इन कर्मकाण्डों की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी। पाण्डु से माद्री का विवाह करने के लिए मद्रराज ने माद्री के बदले में काफी मूल्यवान वस्तुएं लीं थी। भृगु मुनि के पुत्र रिचिक के साथ कान्यकुब्ज राजगाधी ने अपनी बेटी का विवाह करने के लिए एक हजार तेजस्वी घोड़े की मांग रिचिक से की थी। गालब ने ययाति की पुत्री माधवी से विवाह करने के लिए चार हजार घोड़े दिए थे।[22] महाभारत में गान्धर्व विवाह के अनेक उदाहरण मिलते हैं जैसे- शान्तनु और गंगा, भीम और हिडिम्बा, अर्जुन और उलूपी, दुष्यन्त और शकुन्तला, परीक्षित और सुशोभना इत्यादि। राजकुमारियों के विवाह के लिए स्वयंवर प्रथा ही सबसे अच्छी मानी जाती थी। भीष्म के अनुसार धर्मशास्त्र बनाने वाले कहते हैं कि स्वयंवर सभा में विरोधियों को हटाकर राजकुमारी को जीतकर विवाह करना ही क्षत्रियों के लिए सबसे श्रेष्ठ है। पाण्डव राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी को स्वयंवर सभा से जीतकर लाए थे।[23] इस काल में राजा हो या प्रजा, आर्य व अनार्यों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित होते थे जैसे ब्राह्मणों का विवाह निषाद कन्याओं से हो जाता था। राजा शान्तनु ने अनार्य दास की पुत्री सत्यवती से विवाह किया था।[24] बौद्ध साहित्य **'विनयपिटक'** में दस प्रकार

के विवाह सम्बन्धों जैसे- धनक्खित, छन्दवासिनी, भोगवासिन, पटवासिनी, ओदपत्तकनी, ओभत्तचुंबत, दासीनाम, कामकरी, मुहुत्तिक एवं धजाहत की चर्चा की गयी है। उपरोक्त संबंधों में से छन्दवासिनी को छोड़कर अन्य सभी संबंधों में किसी न किसी प्रकार का वित्तीय विनिमय या पहले से ही स्त्री के अधीनस्थ स्थान का बोध होता है। उपरोक्त में से ओदपत्तकिनी तथा ओभत्तचुंबत कोटि के संबंध किसी प्रकार के उत्सव की ओर इशारा करते हैं।[25]

मनुस्मृति एवं याज्ञवल्क्य स्मृति में भी विवाह के इन आठ प्रकारों का उल्लेख होने के साथ उक्त आठ प्रकारों को दो भागों अर्थात्- प्रशस्त तथा अप्रशस्त में विभक्त किया है। प्रथम चार प्रकार (ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य) प्रशस्त जिन्हें प्रशंसनीय माना गया है, जिनमें ब्राह्म प्रकार के विवाह को सर्वोत्तम माना गया है। आसुर और गान्धर्व विवाह प्रकार किसी प्रकार वैद्य थे तथा अन्तिम दो राक्षस और पैशाच वर्जित थे। किन्तु यह सभी विवाह प्रकार वैध माने जाते थे तथा जो प्रकार जितना अधिक अप्रशस्त था, वह उतना ही अधिक प्राचीन था।[26] इन विवाह प्रकारों के अतिरिक्त प्राचीन भारतीय समाज में विनिमय-विवाह व सेवा-विवाह आदि विवाह के अन्य प्रकार भी प्रचलित थे, जिनका स्मृतिकारों तथा धर्मशास्त्रियों ने उल्लेख नहीं किया है।[27]

वैवाहिक विधि-विधान : प्राचीन हिन्दू समाज में विवाह संस्कार सम्पन्न करने में अनेक आचारों और विधियों का अनुसरण किया जाता था। वर-वधू का विवाह तय करते समय उनके सामाजिक वर्ग तथा वंश का विशेष ध्यान रखा जाता था, जिनमें बहिर्विवाह (**गोत्र**, **प्रवर**, **पिण्ड**), अन्तर्विवाह (**सवर्ण** और **सजातीय**) एवं अन्तर्जातीय (**अनुलोम** एवं **प्रतिलोम**) विधान प्रमुख थे। ऋग्वैदिक साहित्य में गोत्र, प्रवर व पिण्ड का कोई उल्लेख नही मिलता है। शास्त्रों में बहिर्विवाह की सीमाओं का सर्वप्रथम विस्तार रूप में वर्णन किया गया है। शास्त्रकारों ने एक ही गोत्र, प्रवर और पिण्ड में परस्पर विवाह करना अप्रशस्त माना। मनु ने फूफी, मौसी एवं नानी की कन्या से विवाह करने वाले को नरकगामी कहा है। यदि कोई व्यक्ति सगोत्र कन्या से विवाह करता था, तो उसे अनेक प्रकार के प्रायश्चित एवं व्रत आदि करने पड़ते थे तथा ऐसा व्यक्ति समाज में निन्दनीय माना जाता था।[28] अपरार्क एवं आपस्तम्ब द्वारा सगोत्र कन्या से विवाह करने पर चान्द्रायण व्रत करने की व्यवस्था की गई है तथा समान गोत्र-प्रवरा कन्या से विवाह करने वाले ब्राह्मण को चांडाल उत्पन्न करने वाला कहा गया है[29] पुराणों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि सवर्ण विवाह का समाज में अत्यधिक मान और महत्व था। मत्स्यपुराण से विदित होता है कि ब्राह्मण कन्या देवयानी ने कुलोत्पन्न ययाति से गान्धर्व विवाह के लिए प्रार्थना की थी, जिसे उसने सवर्ण न होने के कारण अस्वीकार कर दिया था। जातकों में सर्वप्रथम जाति और कुल एक साथ निवृत हुए हैं।[30]

प्राचीन हिन्दू समाज में प्रचलित विवाह संस्कार के अन्तर्गत यदि वर और वधू की विवाह आयु का अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट होता है कि वैवाहिक आयु में वैदिक काल से स्मृति युग तक निरन्तर परिवर्तन देखा जा सकता है। वैदिक युग में एक ओर वर और वधू का विवाह युवावस्था में किया जाता था तथा कन्या और वर जब एक-दूसरे की मन से इच्छा करने में समर्थ होते थे तब विवाह का आयोजन किया जाता था।[31] ऋग्वैदिक काल में अधिकांश लड़कियां कुंवारी रह जाती थीं। इस तरह की लड़कियों को पुत्रिका कहते थे। कभी-कभी वृद्धावस्था में भी स्त्रियों का विवाह होता था जैसे घोषा का विवाह 60 साल की उम्र में हुआ था[32] किन्तु वहीं दूसरी ओर गृह्यसूत्रों के काल में आकर कन्याओं से विवाह की आयु कम होने लगी। हिरण्यकेशी और गोभिल गृह्यसूत्रों के अनुसार विवाह के लिए 'नग्निका' कन्या ही श्रेष्ठ थी।[33] शास्त्रकारों ने प्रायः इस मत को इंगित किया है कि कन्या का विवाह रजोदर्शन अथवा वस्त्र पहनने (लज्जा करने) की अवस्था के पूर्व ही कर देना चाहिए।[34] पराशरस्मृति में आठ वर्ष की गौरी कन्या को विवाह योग्य माना गया है।[35] मनु के अनुसार तीस वर्ष की अवस्था वाला पति बारह वर्ष की आयु वाली सुन्दर कन्या से विवाह करे अथवा शीघ्र विवाह करने वाला पति चौबीस वर्ष की आयु में आठ वर्ष की कन्या से विवाह करे।[36] स्मृति युग में यदि कोई कन्या युवती होने पर तीन वर्ष तक अविवाहित रह जाती थी तब उसे शास्त्रकारों ने अपनी स्वेच्छा से विवाह करने का अधिकार दिया है।[37] प्राचीन भारतीय समाज में बाल विवाह के प्रचलन और प्रोत्साहन के पीछे धर्मशास्त्रकारों का यह दृष्टिकोण था कि अन्तर्वर्णीय और अन्तर्जातीय विवाह न हो तथा अन्तर्वर्णीय वयस्क स्त्री-पुरुष स्वतन्त्रतापूर्वक एक दूसरे से विवाह न कर सके। अतः अभिभावकों ने अपने वंश और परिवार की रक्षा के निमित्त बाल-विवाह को हितकारी मान इसका पालन किया। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म के प्रभावस्वरूप तीसरी सदी ई0 पूर्व तक भारत का कोई भी ऐसा बौद्ध विहार नहीं बचा रहा, जहाँ बौद्ध भिक्षुणियां अधिक संख्या में न रहीं हों। अनेक अविवाहित स्त्रियां भी प्रव्रज्या ग्रहण कर बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी और इस ओर स्त्रियों की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। फलतः धर्मसूत्रकारों और स्मृतिकारों ने इस प्रवृत्ति को अवरूद्ध करने के लिए बाल-विवाह जैसे नियमों का निर्माण किया और इनके लिए विवाह की आयु कम कर दी।[38]

वैदिक साहित्य एवं धर्मशास्त्रों से ज्ञात होता है कि प्राचीन भारतीय समाज में एकलविवाह (एकपतित्व एवं एकपत्नीकता) एवं बहुविवाह (बहुपत्नीकता एवं बहुपतित्व) का प्रचलन था। समाज में एक ओर एकपत्नीकता अथवा एकपतित्व का विशेष महत्व था। आदर्श पुरुष और स्त्री वही कहलाते थे जिनमें स्थायित्व होता था और जिनका एक ही विवाह होता था। ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में एक विवाह को आदर्श विवाह कहा गया है[39] किन्तु वहीं दूसरी ओर एकविवाह की महत्ता होने के साथ ही तत्कालीन समाज में बहुविवाह (बहुपत्नीकता एवं बहुपतित्व) के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। बहुपतित्व के सन्दर्भ में वैदिक ग्रन्थों से विदित होता है कि उस युग में सम्भवतः एक महिला के अनेक पति हो जाया करते थे, क्योंकि इस युग में अनेक जनजातियां निवास करती थीं, जिनमें एक से अधिक पति से विवाह करने की प्रथा थी। अथर्ववेद में उल्लिखित है कि पचौदन के माध्यम से पत्नी और उसके द्वितीय पति के बीच अविच्छेद्यता की आशा की गई थी।[40] अथर्ववेद के एक स्थान पर एक स्त्री के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जातियों में से ब्राह्मण पति को अत्यन्त माननीय कहा गया है।[41] विष्णुपुराण से ज्ञात होता है कि मारिषा के दस पति थे।[42] महाभारत में द्रौपदी का उल्लेख है, जिसके एक से अधिक पति थे। महाभारत के ही अनुसार जटिला गौतमी के सात ऋषि पति थे तथा वार्क्षी से प्रचेता नाम के दस भाइयों ने विवाह किया था। युधिष्ठिर ने बहुपतित्व के संबंध में द्रुपद से यह तर्क किया था कि मेरी मां ने हम पांचों को द्रौपदी का पति बनाया है और यह कार्य परम्परा से चला आ रहा है, जो धर्मसम्मत है[43] किन्तु बहुपतित्व की यह प्रथा हिन्दू समाज में अत्यन्त अल्प थी। धर्म, लोकाचार, सच्चरित्रता और नैतिकता का हिन्दू समाज में इतना अधिक प्रभाव रहा कि इसका समाज में कोई स्थान नहीं हो सका। हिन्दू स्त्री के जीवन का आदर्श और गौरव उसके एकपतित्व में ही निहित था, न कि बहुपतित्व में। धर्मशास्त्रकार मनु की स्वयं अनेक पत्नियां थी। याज्ञवल्क्य की मैत्रेयी और कात्यायनी नामक दो विदुषी पत्नियां थी। पारस्कर का मत है कि ब्राह्मण की तीन पत्नियां (ब्राह्मणी, क्षत्रिय और वैश्य), क्षत्रिय की दो पत्नियां (क्षत्रिय और वैश्य) और वैश्य की एक पत्नी हो सकती है।[44]

इसके अतिरिक्त आपस्तम्ब धर्मसूत्र में एक पुरुष द्वारा ममेरी बहन या फुफेरी बहन से विवाह करना वर्जित बताया गया है, किन्तु इसी ग्रन्थ में एक अन्य स्थान पर कहा गया है कि दक्षिण भारत में ममेरी तथा फुफेरी बहनों के साथ विवाह करना पुरानी परम्परा रही है।[45] बौधायन लिखते हैं कि दक्षिण भारत के बाहर किसी अन्य क्षेत्र में इस प्रकार के वैवाहिक सम्बन्ध बनाना अपराध है, किन्तु दूसरी ओर वे दक्षिण भारत में इस प्रथा का मौन समर्थन करते हैं।[46] अन्य स्मृतिकारों ने भी ममेरी तथा फुफेरी भाई-बहनों का विवाह वर्जित बताया है और उनके द्वारा किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को यह छूट नहीं दी गयी है चाहे वे उनके परम्परागत पृष्ठभूमि में आते हों या नहीं।

प्राचीन भारतीय समाज में विवाह संस्कार से जुड़े रीति-रिवाजों में भिन्नता दिखाई देती है। ऋग्वेद में जोड़े गए एक बाद की ऋचा विवाह सूक्त को फिर से व्यवस्थित किया गया और उनमें से सभी का उपयोग नहीं किया गया।[47] वैदिक युग के आरम्भ में विवाह की कोई विशेष रीति प्रचलित नही थी। परस्पर शपथ ग्रहण करके उनका विवाह हो जाता था। ऋग्वेद के (10.42-43) श्लोक के अनुसार पुरोहित वर-वधू से उसी स्थान पर घर बसाकर खुशहाल जिन्दगी बिताने तथा पुत्र, पौत्रों के साथ हंसी-खुशी जीवन-यापन करने की कामना करते हैं।[48] विवाह में रस्मों-रिवाज व शानो-शौकत की शुरूआत अथर्ववेद और गुह्यसूत्र समूह के समय से हुई। अथर्ववेद के अनुसार कन्या को नीली एवं लाल साड़ी पहनाकर घूघंट में विवाह मण्डप तक लाना चाहिए। विवाह पूर्ण होने से पहले वर-वधू एक-दूसरे का चेहरा नहीं देखते थे। विवाह समारोह में ऋग्वेद के काल का शपथ ग्रहण ही अधिक महत्वपूर्ण था। इसके अतिरिक्त मन्त्र व यज्ञ हुआ करता था व लड़की को एक टुकड़ा पत्थर पर खड़ा करने का भी रिवाज था।[49] गुह्यसूत्र समूह के युग में विवाह समारोह का शानो-शौकत काफी बढ़ गया। विवाह संस्कार के अन्तर्गत वर-वधू का एक पत्थर पर चढ़ना, विशेष प्रकार से वर द्वारा वधू का हाथ पकड़ा जाना अथवा वर के द्वारा कन्या को ध्रुवतारा की ओर इंगित करते हुए दिखलाना, इन सभी के प्राचीन भारतीय समाज में उपस्थित प्रकृति एवं पर्यावरणीय तत्वों की अपने जीवन में उपयोगिता एवं महत्व जैसे अनेक निहितार्थ थे। इस समय के बाद से पुरोहितों के द्वारा विवाह संस्कार में केन्द्रीय भूमिका निभायी जाने लगी एवं विवाह के आनुष्ठानिक विधि-विधानों को अब वधू पक्ष के घर में सम्पादित किया जाने लगा था।[50]

सन्दर्भ

1. मिश्र, जयशंकर., प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना, शष्ठम संस्करण-2000, पृ0 306.
2. पूर्वोक्त.
3. पूर्वोक्त.
4. वेस्टरमार्ग, दि हिस्ट्री आफ ह्यूमन मैरिज, फॉरगटन बुक न्यूयार्क, 1891, पृष्ठ 26.
5. पाण्डेय, राजबली., हिन्दू संस्कार, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, पुनर्मुद्रित संस्करण- 2006, पृष्ठ 200.
6. पूर्वोक्त, पृष्ठ 195.
7. महाभारत, 1.128., पाण्डेय, राजबली द्वारा उद्धृत्, पूर्वोक्त, पृष्ठ 201.
8. पूर्वोक्त.
9. महाभारत : 1.122.3-31., पाण्डेय, राजबली द्वारा उद्धृत्, पूर्वोक्त, पृष्ठ 201.
   टिप्पणी- मनुस्मृति में पति द्वारा संतान उत्पन्न न होने पर या पति की अकाल मृत्यु की अवस्था में नियोग ऐसा उपाय है, जिसके अनुसार स्त्री अपने देवर अथवा सम्गोत्री से गर्भदान करा सकती है। इसमें स्त्री की सहमती होनी जरूरी है। यदि पति जीवित है तो वह व्यक्ति स्त्री के पति की इच्छा से केवल एक ही और विशेष परिस्थिति में दो संतान उत्पन्न कर सकता है। इसके विपरीत आचरण प्रायश्चित् के भागी होते हैं।
10. महाभारत : 1.122.3-31., पाण्डेय, राजबली द्वारा उद्धृत्, पूर्वोक्त, पृष्ठ 201.
11. सूर, अतुल., भारत में विवाह का इतिहास, रेमाधव पब्लिकेशन प्रा.लि., 2007, पृष्ठ 8.
12. मिश्र, जयशंकर., वही, पृष्ठ 311.
13. मिश्र, जयशंकर., पूर्वोक्त, पृष्ठ 311.
14. पाण्डेय, राजबली., वही, पृष्ठ 197.
15. मनुस्मृति, 9.28., मिश्र, जयशंकर., द्वारा उद्धृत्, वही, पृष्ठ 307.
16. लाइफ ऑफ लिकर्गस, बॉन्स क्लासिकल लाइब्रेरी, भाग 1, पृष्ठ 81., पाण्डेय, राजबली द्वारा उद्धृत्, पूर्वोक्त, पृष्ठ 198-99.
17. पाण्डेय, राजबली., पूर्वोक्त, पृष्ठ 199.
18. सूर, अतुल., वही, पृष्ठ 18.
19. सिंह, उपिन्दर., प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास पाषाण काल से 12 वीं शताब्दी तक, पियरसन इंडिया एजुकेशन सर्विसेज प्रा. लि., 2017, पृ0 201.
20. पाण्डेय, राजबली द्वारा उद्धृत्, पूर्वोक्त, पृष्ठ 203.
21. आश्वलायन गृह्यसूत्र : 1.6., पाण्डेय, राजबली द्वारा उद्धृत्, पूर्वोक्त, पृष्ठ 203.
22. सूर, अतुल., वही, पृष्ठ 26.
23. पूर्वोक्त, पृष्ठ 27.
24. पूर्वोक्त, पृष्ठ 27.
25. वाग्ले, 1966, पृष्ठ 96-98., सिंह, उपिन्दर द्वारा उद्धृत्, वही, पृष्ठ 315.

51. सूर, अतुल., वही, पृष्ठ 36.
26. मनुस्मृति : 3.24-25. पाण्डेय, राजबली द्वारा उद्धृत्, वही, पृष्ठ 203.
27. सूर, अतुल., वही, पृष्ठ 36; पाण्डेय, राजबली, वही, पृष्ठ 203.
28. आपस्तम्ब धर्मसूत्र., मिश्र, जयशंकर द्वारा उद्धृत्, वही, पृष्ठ 321.,
    मनुस्मृति : 11.171-72., मिश्र, जयशंकर द्वारा उद्धृत्, पूर्वोक्त, पृष्ठ 323.
29. अपरार्क, पृष्ठ 8, आप., पृष्ठ 116., मिश्र, जयशंकर द्वारा उद्धृत्, पूर्वोक्त, पृष्ठ 323.
30. मत्स्यपुराण : 30.18., मिश्र, जयशंकर द्वारा उद्धृत्, पूर्वोक्त, पृष्ठ 338.
31. ऋग्वेद : 10.84.9., मिश्र, जयशंकर द्वारा उद्धृत्, वही, पृष्ठ 355.
32. सूर, अतुल., वही, पृष्ठ 18-19.
33. हि.गृ.सू. : 1.19.2., गोभिल गृह्यसूत्र : 3.4.6., मिश्र, जयशंकर द्वारा उद्धृत्, वही, पृष्ठ 355.
34. गौतम धर्मसूत्र : 18. 21-23, बौधायन धर्मसूत्र : 4.1.12-14, वाशिष्ट धर्मसूत्र : 10.70-71, संवर्त स्मृति : 1.67., मिश्र, जयशंकर द्वारा उद्धृत्, वही, पृष्ठ 356.
35. पराशरस्मृति : 2.21.3., पूर्वोक्त.
36. मनुस्मृति : 9.94., मिश्र, जयशंकर द्वारा उद्धृत्, पूर्वोक्त, पृष्ठ 356.
37. बौधायन धर्मसूत्र : 4.1.14, मनुस्मृति : 9.89-90., मिश्र, जयशंकर द्वारा उद्धृत्, पूर्वोक्त, पृष्ठ 356.
38. मिश्र, जयशंकर., पूर्वोक्त, पृष्ठ 360.
39. ऋग्वेद : 10.85.46, अथर्ववेद : 14.2.61., मिश्र, जयशंकर द्वारा उद्धृत्, वही, पृष्ठ 344.
40. अथर्ववेद : 14.2.1, 9.5.27-29., मिश्र, जयशंकर द्वारा उद्धृत्, पूर्वोक्त, पृष्ठ 350.
41. अथर्ववेद : 5.17.8.9, मिश्र, पृष्ठ 350., मिश्र, जयशंकर द्वारा उद्धृत्, पूर्वोक्त, पृष्ठ 350.
42. विष्णुपुराण : 1.15.68., मिश्र, जयशंकर द्वारा उद्धृत्, पूर्वोक्त, पृष्ठ 350.
43. महाभारत : 1.198.21-30., मिश्र, जयशंकर द्वारा उद्धृत्, पूर्वोक्त, पृष्ठ 350.
44. पारस्कर गृह्यसूत्र : 1.4.8.11., मिश्र, जयशंकर द्वारा उद्धृत्, पूर्वोक्त, पृष्ठ 347.
45. सूर, अतुल., वही, पृष्ठ 46.
46. बौधायन धर्मसूत्र : 1.19-26, मिश्र, जयशंकर द्वारा उद्धृत्, पूर्वोक्त, पृष्ठ 358.
47. राय, ए0., 1994 सिंह, उपिन्दर द्वारा उद्धृत्, वही, पृष्ठ 315.
48. ऋग्वेद :10/42-47, सूर, अतुल., वही, पृष्ठ 21.
49. सूर, अतुल, पूर्वोक्त.
50. सिंह, उपिन्दर., वही, पृष्ठ 315.

Bio-note:

1. **Sampati Negi** (Corresponding author) **:** Completed M.A(History) from B.G.R. Campus Pauri, HNBGU, Srinagar Garhwal, Uttarakhand in 2013 with Gold Medal. Presently she is pursuing Ph.D in History under the supervision of Prof. D.P. Saklani, Dept. of History, HNBGU, Srinagar Garhwal, on ***"गढ़वाल हिमालय में विवाह पद्धति : निरन्तरता एवं परिवर्तन का एक ऐतिहासिक अध्ययन (19 वीं. 20 वीं शताब्दी के सन्दर्भ में)"*** Address- Sampati negi, D/O Shankar singh negi, village- Gad ka mahargaun, post office- Parsundakhal, Pauri Garhwal, Uttarakhand, 246166
2. **D.P.saklani** is Professor of Indian History & Culture in the Department of History, Ancient Indian History, Culture& Archaeology, Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar Garhwal, Uttarakhand. He has the experience of more than 26 years of teaching and research. He has published 25 research papers including papers on Ramayana tradition and a couple of books to his credit. He has participated and presented in more than 35 national & international conferences in India and abroad. He has organized a couple of National seminars. He also delivered invited talks on Indian culture including Ramayana tradition in America and Europe. He has successfully completed research on more than five major research projects funded by different government agencies such as ICHR, UGC, Ministry of Culture Government of India and GBPIOHE, Almora. He has guided 10 research scholars for PhD.